

ईमेल/फैक्स

पत्रांक : 4/स.1-14/2017-908
झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
पोस्टा नंबर, नयास हाउस परीसर, डोएन्डा, राँची-834002

प्रेषक:

अबु इमरान, (भा.प्र.से.)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव
सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

विषय : सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत टोकीपुर बी.एड. कॉलेज, रानेश्वर, दुमका को बी.एड. पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2018-20, 2019-21 एवं 2020-22 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

राँची, दिनांक : 10/05/18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि टोकीपुर बी.एड. कॉलेज, रानेश्वर, दुमका को बी.एड. पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2018-20, 2019-21 एवं 2020-22 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पर समीक्षोपरत राज्य सरकार द्वारा कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन अनुमोदन प्रदान की है:-

क्र.सं.	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	Approved Unit	NCTE Recognition संबंधी पत्रांक/दिनांक
1.	टोकीपुर बी.एड. कॉलेज, रानेश्वर, दुमका।	बी.एड. (संबंधन दीर्घीकरण)	2018-20, 2019-21 एवं 2020-22	02 (100 Students)	पत्रांक-52594 दिनांक-27/04/2017

2. शर्तों:-

(क) माँ वैष्णो देवी महिला महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका संख्या WP(C) No. 276/2012 में पारित न्यायादेश की कडिका-71 में अंकित निम्न निदेशों का अनुपालन हो।

- छात्रों के नामांकन की पात्रता,
- परीक्षा का संचालन,
- विहित कोर्स के पूर्णता की प्रक्रिया,
- एन.सी.टी.ई. द्वारा दिए गए शर्तों का अनुपालन।

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये कमियों/त्रुटियों की पूर्णता एवं दिए गए सुझाव का अनुपालन।

(ग) AISHE Portal पर data का upload.

(घ) IQAC का गठन।

(ङ) राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का ससमय अनुपालन।

उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन न हो पाने की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने का अधिकारी विभाग को होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(अबु इमरान)

निदेशक, उच्च शिक्षा

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका

ज्ञापक - SKMU/IC/85/2018
प्रतिलिपि -

दिनांक - 10.5.2018

- संबंधित कॉलेज को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड, राँची।
- परिनियमित/अधिनियमित पदाधिकारियों को सूचनार्थ।
- कुलसचिव/कुलपति के निजी सहायक को सूचनार्थ।
- रक्षी संचिका।

श्रीम. Narayan Singh
10.5.18
कुलसचिव

राजेश
10.5.18